

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
18 ¹ / ₂₁	<p>अभिजायक समयपत्र संपादन/राजस्व वरीय अधिकार का बंधनकारी कर पर है। अतः पत्रावली पुनर्मुद्रण का निर्देश किया गया है। दिनांक 15.3.21 को पेश हो।</p>
15 ³ / ₂₁	<p>अभिजायक समयपत्र संपादन/राजस्व वरीय अधिकार का बंधनकारी कर पर है। अतः पत्रावली पुनर्मुद्रण का निर्देश किया गया है। दिनांक 26.4.21 को पेश हो।</p>
26 ⁴ / ₂₁	<p>अभिजायक समय पत्र संपादन/राजस्व वरीय अधिकार का बंधनकारी कर पर है। अतः पत्रावली पुनर्मुद्रण का निर्देश किया गया है। दिनांक 21.6.21 को पेश हो।</p>
21 ⁶ / ₂₁	<p>अभिजायक समय पत्र संपादन/राजस्व वरीय अधिकार का बंधनकारी कर पर है। अतः पत्रावली पुनर्मुद्रण का निर्देश किया गया है। दिनांक 6.9.21 को पेश हो।</p>
6.9.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उपस्थित / संशोधित शीर्षक पेश हो। शेष रैस्पो. की तामील अर्थात् जाने / पत्रावली दि. 1.11.21 को पेश हो।</p>
01 ¹¹ / ₂₁	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिजायक उमयपत्र उपस्थित। रैस्पो. संख्या - 2 की और से श्री ओमानंद चौधरी एड. ने पत्रावली नाम पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। ओष रैस्पो. की तामील हेतु अपी. अमि. को नई अवसर दिये जाने के वाक्य भी उनके द्वारा तालकी हेतु किसी उधार की कार्यवाही नहीं की गई है, इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता अपनी अपील के प्रति सजग नहीं है। अतः अपील अपीलांत अदम तामील (0925) में रजिस्ट्रार की जाती है। पत्रावली कौंसल वुमार होवर, नम्बर से नम की जाकर बाद तामील आवाता वाकिल वकूतर की जावे।</p>

न्यायालय

हुक्म